824
9/2/13

खण्ड : 13 संख्या : 5

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(त्रयोदश सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

सत्यमेव जयते

मंगलवार, तिथि 22 मार्च, 1994 ई०

श्री सत्य नारायण सिंह :अध्यक्ष महोदय, इतना काम तो करवा दिया जाये। 50 लाख रुपये लगाने से इतना काम हो जायेगा ।

श्री महावीर चौधरी :जब तक यह सरकार बनी रहेगी तब तक यह नहीं बनेगा ।

श्री जगदानन्द सिंह :सवाल जनहित का है। उस सबजेक्ट को पौलिट्क्लाईज नहीं कीजिये । सवाल यह है कि जनहित में कोई काम है तो वह होना चाहिए ।

श्री महावीर चौधरी :कांग्रेस की सरकार में, ऐसी वित्तीय स्थिति कभी नहीं रही जैसी आपकी सरकार में है।

केन्द्र सरकार का अनुदान नहीं मिले तो यहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा ।

अध्यक्ष :जैसे ही निधि उपलब्ध होगा वे इसे पूरा करा देंगे ।

श्री सत्य नारायण सिंह :इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा ?

अध्यक्ष :यह कैसे कह सकते हैं ?

(ब) मजदूरों को स्थायी करना ।

श्री वशिष्ट नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि टिस्को टयूब डिवीजन में कुछ स्थायी प्रकृति के कार्यों में ठेका पद्धति को समाप्त करने संबंधी अधिसूचना ठेका मजदूर विनियमन एवं उन्मूलन, अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत श्रम विभाग के द्वारा निर्गत किया गया जिसके बाद प्रबंधक ने टिस्को टयूब डिवीजन के कुछ स्थायी प्रकृति के कार्यों में नियोजित ठेका मजदूरों की छंटनी कर दी।

यह ज्ञातव्य है कि ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन अधि० 1970 के अंतर्गत स्थायी प्रकृति के कार्यों से ठेका पद्धति समाप्त करने पर प्रभावित ठेका मजदूरों को प्रबंधन के द्वारा नियोजित करने के लिए आदेश देने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त अधिनियम में यह भी प्रावधान नहीं है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार स्थायी प्रकृति के कार्यों से ठेका पद्धति समाप्त होने पर प्रभावित ठेका मजदूरों को प्रबंधन को अपने नियोजन में रख ही लेना है।

उक्त स्थिति में टिस्को ट्यूब डिवीजन के छंटनीग्रस्त ठेका मजदूरों का नियोजन प्रबंधन के द्वारा नहीं करने से उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों से वार्त्ता की गयी जिसके दौरान प्रबंधन का कहना था कि वे स्थायी प्रकृति के कार्यों से ठेका पद्धति समाप्त होने के कारण रिक्त स्थानों को अपने स्थायी मजदूरों के आश्रितों से स्थायी आदेश एवं मान्यता प्राप्त संघ के साथ हुये "समझौते" के अनुसार भरेंगे और ये संबंधित ठेका मजदूरों को नियोजित नहीं कर सकते हैं। वार्त्ता के उपरांत दिनांक 7.8.79 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ था जिसमें यह प्रावधान है कि स्थायी प्रकृति के कार्यों से छटनीग्रस्त ठेका मजदूर का उन कार्यों के पदों पर नियोजित होने के दावे को प्रबंधन स्थायी कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी के आश्रितों के नियोजन के साथ नहीं मिलायेगी ।

जब यह पाया गया कि प्रबंधन उक्त समझौते का उल्लंघन कर रही है तब प्रबंधन को कारण पृच्छा (शो-काउज) पत्र निर्गत किया गया। प्रबंधन ने जो उत्तर दिया उसमें मुख्य तर्क यह था कि दिनांक 7.8.79 को जो त्रिपक्षीय वार्त्ता के बाद समझौता हुआ वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौता की परिभाषा में नहीं आता है। अपितु वह मिनट्स और डिसक्सन है जिसे मानने के लिए प्रबंधन को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस बिन्दु पर विधि विभाग की राय ली गयी और विधि विभाग ने परामर्श दिया कि दिनांक 7.8.79 का समझौता उक्त अधिनियम की धारा 2(पी०) के अन्तर्गत "समझौता" है।

अतएव प्रबंधन को समझौते के कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन एवं श्रमिक संघ के साथ श्रमायुक्त के स्तर पर पुनः वार्ता की गयी तथा विधि विभाग के परामर्श के आलोक में समझौता दिनांक 7.8.79 के अनुसार टिस्को ट्यूब डिवीजन के छंटनीग्रस्त ठेका मजदूरों को जो हक बनता है उसे अविलंब लागू करने हेतु प्रबंधन को निर्देश दिया गया था। प्रबंधन ने इस संबंध में विचार करने हेतु समय की याचना की परन्तु अभी तक समय लेने के बावजूद प्रबंधन ने समझौते का कार्यान्वयन नहीं किया है ।

अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस में हस्तक्षेप कर अप्रैल के दूसरे सप्ताह में दोनों पक्षों को समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में विचार-विमर्श करने हेतु आमंत्रित किया है।

श्री दीनानाथ पांडे : अध्यक्ष महोदय, वहीं पर सदन में इन मुद्दों पर दो-दो बार हमने आमरण अनसन किया था और इसी मुद्दे पर टिस्को ट्यूब डिवीजन मजदूर लगातार दो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया। अभी सदन चल रहा है। कितना आश्वासन इनका होगा ? हमें आशा थी कि सामाजिक न्याय की गुहार लगाने वाले मुख्यमंत्री आदिवासी भाई-बहनों की सुनेंगे, ध्यानाकर्षण में देखा जाये, कहा गया है कि तीन आदिवासी भाई मजदूर मर भी गये और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया है तो क्या इसमें माननीय श्रम मंत्री भी इसमें रहेंगे, क्या आपके लेबर कमीश्नर रहेंगे, क्या आपके लेबर सेक्रेटरी रहेंगे, क्या टाटा मैंनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर डा० जे० जे० ईरानी रहेंगे ? भारतीय मजदूर संघ के लोगों को बुलाया जायेगा और यदि मैनेजिंग डायरेक्टर डा० जे० जे० ईरानी वार्ता में नहीं मानते हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं ? इन सारे मुद्दो पर जवाब दीजिये।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह : महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से एक अच्छा मौका मिल गया, पांडे जी को भाषण देने का। इन्होंने एक लंबा भाषण देने का भी काम किया है।

माननीय सदस्य श्री पाण्डेय जी से उस समय बात हुई थी स्वयं पाण्डेय जी उपस्थित थे और इनकी भी राय थी कि मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें। जो इनका एटिच्यूड है, जो उन्होंने कहा है, कैटोगीरीकली में उसका जवाब दे रहा हूं...

अध्यक्ष : वे यह जानना चाहते हैं आपके विभाग के टोपेस्ट अफसरान और टिस्को के उच्च अधिकारी गण इन्क्लूडिंग मैनेजिंग डाइरेक्टर इस वार्ता में रहेंगे या नहीं।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह : मैंने पहले ही जवाब में कहा था कि इसमें श्रम विभाग के अधिकारी, मजदूर यूनियन के सदस्य और जो प्रबंधन है, टाटा के उच्चतम अधिकारी रहेंगे।

10. श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह, को ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य :